# अनुदान संख्या 50 – लोक उद्यम विभाग
# GRANT No. 50–DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES

| | | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving– |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees) |
| राजस्व: | **Revenue:** | | | | |
| स्वीकृत- | Voted– | | | | |
| मूल | Original | 14,50,00 | 16,50,00 | 15,64,06 | –85,94 |
| पूरक | Supplementary | 2,00,00 | | | |
| वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि | Amount surrendered during the year | | | | 84,74 |

*टीका और टिप्पणियां*

1. अनुदान में, कुल बचतें (85.94 लाख रु.) अक्तूबर, 2008 और फरवरी, 2009 में प्राप्त किए गए 200.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 43 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 5 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

***Notes and comments***

1. In the grant, the overall savings (Rs.85.94 lakhs) constituted 43 percent of the supplementary grants of Rs.200.00 lakhs obtained in October, 2008 and February, 2009 and 5 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

| शीर्ष | Head | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| मुख्य शीर्ष ''3451'' सचिवालय - आर्थिक सेवाएं | Major Head "3451" Secretariat - Economic Services | | | | |
| मू. | O. | 435.00 | 599.03 | 596.98 | –2.05 |
| पू. | S. | 200.00 | | | |
| पु. | R. | –35.97 | | | |
| मुख्य शीर्ष ''2852'' उद्योग | Major Head "2852" Industries | | | | |
| मू. | O. | 915.00 | 966.23 | 967.08 | +0.85 |
| पु. | R. | 51.23 | | | |

(I) 103.00 लाख रु. का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष ''3451'' - ''सचिवालय - लोक उद्यम विभाग'' के अंतर्गत 396.50 लाख रु. के मूल प्रावधान को 190.40 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 586.90 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो चिकित्सा दावे प्राप्त न होने और कम बैठकें होने की वजह से टास्क फोर्स के सदस्यों को भुगतान किए जाने वाले शुल्क के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण 37.58 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 81.02 लाख रु. की बचत हुई और यह स्वीकृत प्रावधान का 62 प्रतिशत थी।

2. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष ''2852'' - ''सामान्य - अन्य व्यय - परामर्श/पुन: प्रशिक्षण/पुन: तैनाती, नए केंद्र स्थापित किए जाने/नोडल अभिकरण बढ़ाए जाने आदि'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं। 136.26 लाख रु. का अधिक व्यय (710.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परामर्श, पुन: प्रशिक्षण और पुन: तैनाती स्कीम के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(I) Provision of Rs.103.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads.

(II) Under Major Head "3451" – "Secretariat – Department of Public Enterprises" – the original provision of Rs.396.50 lakhs was augmented to Rs.586.90 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.190.40 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.37.58 lakhs – due to non-receipt of medical claims and requirement of less funds towards fees paid to the task force members owing to less sittings.

(III) Under one head saving of Rs.81.02 lakhs occurred constituting 62 percent of the sanctioned provision.

2. The above savings were partly offset by excess under Major Head "2852" – "General – Other Expenditure – Counseling/Retraining/ Redeployment, setting up of new Centres/ Addition of Nodal Agencies etc." – excess of Rs.136.26 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.710.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for counseling, retraining and redeployment scheme.